फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
जोरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी नाना तहसील बाली वगैरा		वीरसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी नाना तहसील बाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण GCMS No. 2025/108

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 9 नियम 4 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25/02/25	वकील प्रार्थीगण श्री ओमप्रकाश दवे उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अतर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पेश कर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नबर 2011/00066 बअनवान जोरसिंह वगैरा बनाम वीरसिंह वगैरा अतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे दिनांक 16.05.2024 को अदम तकमील में खारिज प्रकरण को रेस्टोर(पुन बरामद) करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया एव राजस्व वाद 2011/00066 बअनवान जोरसिंह वगैरा बनाम वीरसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आदेशिकाओं का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली की आदेशिकाओ के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रकरण दिनांक 02.08.2021 से प्रतिवादी सख्या 01 वीरसिंह के कामु की तामील रजिस्टर्ड डाक से की जाने हेतु चल रहा था। जिसकी अनुपालना मे वादी अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी कराये गये। परंतु वकील वादी को बार बार रजिस्टर्ड डाक से भेजे सम्मन के लिफाफों की पुष्टि मे डाक विभाग की रजिस्ट्री रसीदे तथा तामीली स्टेटस न्यायालय में प्रस्तुति की हिदायत दिये जाने के बावजूद वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नही की गयी। यहा तक कि आदेशिका दिनांक 14.02.2024 से वादी अधिवक्ता को इस बाबत सख्त निर्देश देते हुये वादी के वाद को आदेश 09 नियम 02 सीपीसी के प्रोविजों के तहत खारिज किये जाने की चेतावनी भी दी गयी। इन सब के बावजूद वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय आदेशों की अनदेखी की गई एवं दिनांक 16.05.2024 को वादी अधिवक्ता न्यायालय मे अनुपस्थित भी रहे जिससे न्यायालय को विवश होकर वादी के वाद को अदम तकमील मे खारिज किया गया। जिस आदेश को वकील प्रार्थी द्वारा आदेश 09 नियम 04 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपास्त करवा कर प्रकरण को पुन: बरामद किये जाने की दलील दी जा रही है। इस सबंध मे दीवानी प्रक्रिया संहिता मे विधि के प्रावधानो के अवलोकन से ज्ञात है कि धारा 151 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार न्यायालय इतना लाचार व असहाय नही है कि किसी वाद के पक्षकार व उनके अधिवक्ता न्यायालय निर्देशो की पालना नही करे फिर भी न्यायालय ऐसे प्रकरणो की प्रक्रिया को आगे बढाये बिना ही लंबित रखे। चूंकि वादी अधिवक्ता को पूर्व में न्यायालय द्वारा कई अवसर प्रतिवादी सख्या 01 के कामु. की रजिस्टर्ड डाक से तलबी किये जाने हेतु दिये गये, इसके बावजुद पालना नही किये जाने से न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 16.05.2024 से वादीगण के वाद को अदम तकमील मे खारिज किया गया, जिससे वादीगण/प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर पुर्व वाद जीसीएमएस नंबर 2011/00066 बअनवान जोरसिंह वगैरा बनाम वीरसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 16.05.2024 के संलग्न हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)	